पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक : 2215/ दिनांक: 22/11/2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के तहत द्वितीय अपील निर्णय

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थी मैसर्स डायनास्टी मोड्यूलर फर्नीचर्स प्रा. लि., जयपुर ने दिनांक 30.10.2021 की अपनी अपील प्रस्तुत की, जो जरिये डाक स्थानीय डाकघर में दिनांक 02.11.2021 को पहुंची परन्तु विश्वविद्यालय में दिनांक 01.11.2021 से 08.11.2021 तक अवकाश होने के कारण दिनांक 09.11.2021 को जरिये डाक विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई।

1. द्वितीय अपील हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क राशि रुपये 10000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 003870 दिनांक 29.10.2021 बैंक एचडीएफसी बैंक अपील के साथ संलग्न है।
2. प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील निर्णय आदेश दिनांक 21.10.2021 को जारी किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 38 (4) के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान के अनुसार द्वितीय अपील उपरोक्त वर्णित आधार पर निर्धारित मियाद के भीतर प्रस्तुत की गई है।
3. यह अपील तय समय–सीमा के भीतर एवं निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः यह अपील सुनने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2021 के द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये गये हैं:–

1. यह है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं और एक स्टे की एप्लीकेशन प्रस्तुत की है, जो पेज नं. 1–16 है।
2. यह है कि अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।
3. यह है कि अपीलार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों में संलग्नक–1 में बिड प्रस्तुत करने वाली फर्मों की सूची प्रस्तुत की है। इसमें अपीलकर्ता कम्पनी/फर्म की जनरल प्रोफाइल भी संलग्न है, जो कि चार पृष्ठ की है।
4. यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक–1 ए में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के तहत प्रथम अपील निर्णय विश्वविद्यालय के पत्रांक 21824 दिनांक 21.10.2021 को भी संलग्न किया है, जो कि दो पृष्ठ का है।
5. यह है कि संलग्नक–2 में वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(8)/वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 को संलग्न किया है, जो कि दो पृष्ठ का है।
6. यह है कि संलग्नक–3 में वित्त (जी एफ एण्ड ए डी) विभाग के दिनांक 19.11.2015 के नोटिफिकेशन को संलग्न किया है, जो कि आठ पृष्ठ का है।
7. यह है कि संलग्नक–4 में भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के दिनांक 11.04.2019 के पत्र को संलग्न किया है, जो कि दो पृष्ठ का है।
8. यह है कि संलग्नक–5 में आरटीपीपी एक्ट, 2012 के संबंधित प्रावधान को संलग्न किया है, जो कि चार पृष्ठ का है।

Scanned with CamScanner

9. यह है कि संलग्नक–6 में आरटीपीपी एक्ट, 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स, 2013 के संबंधित प्रावधान को संलग्न किया है, जो कि दो पृष्ठ का है।
10. यह है कि संलग्नक–7 में आरटीपीपी रूल्स, 2013 के संबंधित प्रावधान को संलग्न किया है, जो कि एक पृष्ठ का है।
11. यह है कि संलग्नक–8 में परचेज ऑर्डर को संलग्न किया है, जो कि दो पृष्ठ का है।
12. यह है कि संलग्नक–9 में निजी विभाग का कॉन्ट्रेक्ट ऑर्डर को संलग्न किया है, जो कि नो पृष्ठ का है।
13. यह है कि संलग्नक–10 में राजकीय विभाग आरएसआरडीसी द्वारा दिये गये वर्क ऑर्डर को संलग्न किया है, जो कि एक पृष्ठ का है।
14. यह है कि संलग्नक–11 में वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 का सीए द्वारा प्रमाणित टर्नओवर को संलग्न किया है, जो कि एक पृष्ठ का है।

अपीलार्थी को दिनांक 18.11.2021 को दोपहर 03.30 बजे द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, जिस पर अपीलार्थी फर्म मैसर्स डायनास्टी मोड्यूलर फर्नीचर्स प्रा. लि., जयपुर की ओर से रवि शाह, जनरल मैनेजर एवं एक प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। यह है कि उपस्थिति में अपीलार्थी ने अपने दस्तावेजों का अवलोकन करवाया व अपने तथ्यों को मौखिक रूप से भी प्रस्तुत किया, अपीलार्थी का यह कहना था कि:

1. ई–बोली क्रमांक 19646 दिनांक 30.03.2021 (एनआईबी–7/2020–21) के क्रम में अपीलार्थी बोलीदाता द्वारा भी बोली प्रक्रिया में भाग लिया गया।
2. प्रत्यर्थी के अधीन उपापन समिति द्वारा प्राप्त बोलियों के दिनांक 10.09.2021 (शाम 4:17 बजे) को किये तकनीकी मूल्यांकन जिसे दिनांक 15.09.2021 को पोर्टल पर प्रकाशित किया गया, के अनुसार प्रत्यर्थी अपीलार्थी फर्म को Status(Fee/PreQual/Technical) तथा Reason(Not complied with Technical specification) के आधार पर तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया:–

   "Dynasty Modular Furniture Pvt. Ltd. Jaipur, work experience not submitted as per tender documents, criteria term and clause No. 3.3.1.2 & 3.3.1.3 of chapter 5 eligibility criteria. Hence technical bid Dynasty Modular Furniture Pvt. Ltd., Jaipur is declared non responsive."
3. अपीलार्थी के अनुसार तथ्यों, विधिक प्रावधानों, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संदर्भ में किसी भी रूप में विचार किये बिना ही मनमाने रूप से अपीलार्थी की अपील को प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया गया। इस कारण अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील सादर विचारार्थ प्रस्तुत की गई।
4. यह कि प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार की बोली मूल्य का 50 प्रतिशत का राजकीय विभागों का पूर्व कार्यानुभव रखे जाने जैसी प्रतिबंधात्मक (restrictive) शर्त रखने के कारण विचाराधीन बोली प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं पारदर्शिता को गंभीर क्षति कारित हुई है।
5. इस प्रकार की कार्यवाही करने से सामग्री की प्राप्त होनी वाली दरे निश्चित रूप से अपेक्षा से अधिक होगी जिससे राजकोष को हानि होना स्वाभाविक है। प्रथम अपील अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया गया।
6. सामान्यतः कार्यानुभव के प्रावधान बोलीदाता फर्म की वित्तीय स्थायित्व/सक्षमता, तकनीकी/उत्पादन क्षमता, आदि को प्रत्यक्ष रूप से आंकलन करने हेतु ही रखे जाते है।
7. इसी प्रकार राज्य में सामग्री के उपापन के लिये किये जाने वाली बोली प्रक्रिया में उपापन की विषयवस्तु के समान प्रकृति की वस्तुओं (similar kind of goods) के निर्माण/आपूर्ति का अनुभव मांगा जाता है न कि शुद्ध रूप से उपापन की विषयवस्तु का।
8. बिन्दु संख्या 3.3.1.3 के अन्तर्गत समान प्रकृति के कार्यों को एक तरफा रूप से परिभाषित करना इन नियमों एवं अधिसूचना के प्रावधानों के विपरीत है।

Scanned with CamScanner

9. उपापन प्रक्रिया में विधिसम्मत कार्यानुभव की शर्त बोलीदाता की उत्पादन क्षमता, वित्तीय सक्षमता को प्रमाणित करने की दृष्टि से देखी जाती है।
10. क्या अपीलार्थी की उत्पादन क्षमता एवं वित्तीय सक्षमता उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों से प्रमाणित नहीं होती है।
11. क्या निजी क्षेत्र को आपूर्ति करने हेतु बोलीदाता को उत्पादन कार्य नहीं करना होता।
12. फर्म की कार्यानुभव एवं वित्तीय क्षमता बोली प्रक्रिया की मूल्य राशि रुपये 3.25 करोड की आपूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। विचाराधीन बोली में फर्मों द्वारा प्रस्तुत टर्नओवर प्रमाण–पत्र को मान्य किया गया है चाहे उसमें राजकीय क्षेत्र को विक्रय प्रदर्शित किया गया हो या निजी क्षेत्र का। जबकि कार्यानुभव के प्रमाण–पत्र सिर्फ राजकीय क्षेत्र के ही मान्य किये गये हैं, जो कि अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। प्रथम अपील अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया गया।
13. वित विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अन्तर्गत दी गयी टिप्पणी के अनुसार यदि उपाप्त की जाने वाली वस्तुओं की लागत रुपये 1.00 लाख से अधिक होती है तो उपापन संस्था को बोलीदाता फर्मों की उत्पादन क्षमता के समाधान के लिये उत्पादन इकाई का निरीक्षण कराया जाना आवश्यक किया गया है। परंतु उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज में बोलीदाता फर्मों के उत्पादन परिसरों के निरीक्षण कराने का कोई प्रावधान नहीं करने से वित्त विभाग के उक्त निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया गया है।
14. यह है कि साथ ही यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील पर विधि सम्मत निर्णय होने तक धारा 39 के प्रावधानों के तहत समस्त उपापन कार्यवाही करने पर रोक (Stay) लगाई जावे।

अपील के निस्तारण हेतु दूसरे पक्षकार को विश्वविद्यालय ने अपने दस्तावेज एवं जवाब देने का मौका दिया गया, जिस पर ई–बोली से संबंधित विश्वविद्यालय के कार्यालय अभिलेख को प्रभारी सामान्य शाखा एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है:

1. विश्वविद्यालय में उक्त विषय वस्तुत के उपापन हेतु निविदा प्रपत्र तैयार करने हेतु समिति का गठन किया, जिसके द्वारा उपापन की जाने वाली विषयवस्तु हेतु वित्त विभाग के प्रपत्र दिनांक 19.11.2015 के अनुसार माइक्रो व स्माल इन्टरप्राइजेज की सक्षम इकाईयों हेतु ही प्रावधान कर निविदा प्रपत्र तैयार करने पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निविदा सूचना जारी की गई।
2. ई–बोली सूचना क्रमांक 19646 दिनांक 30/03/21 के द्वारा "अकादमिक, प्रशासनिक एवं पुस्तकालय भवन हेतु फर्नीचर निर्माण एवं आपूर्ति" जारी की गई, जिसके अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 27.04.2021 रखी गई।
3. फर्मों द्वारा कुछ सुझाव दिये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत कुछ बिन्दुओं, जो नियमसंगत एवं वांछित थे, को आधार मानते हुए क्रमांक 19888 दिनांक 23/04/21 द्वारा संशोधित निविदा सूचना जारी की गई। संशोधित निविदा सूचना के अनुसार सेम्पल प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.05.2021 रखी गई। निविदान्तर्गत चार फर्मों द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये परन्तु भौतिक रूप से वांछित निविदा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं प्रतिभूति राशि से संबंधित घोषणा/प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गई।
4. सेम्पल प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.05.2021 तक दो फर्मो ने सेम्पल प्रस्तुत किये एवं एक फर्म मैसर्स रूसटिक वुड इण्डस्ट्रीज, जयपुर सेम्पल प्रस्तुत नहीं कर सकी।
5. दिनांक 26.06.2021 को उपापन समिति की बैठक के निर्णयानुसार सेम्पल प्रस्तुत करने वाली दो फर्मों को तकनीकी बिड खोलने के लिए योग्य माना गया तथा दिनांक 01.07.2021 को उक्त दोनों फर्मों की तकनीकी बिड खोली गई।
6. उपापन समिति द्वारा दिनांक 10.09.2021 को तकनीकी बिड का मूल्यांकन कर निविदा में भागीदार दोनों फर्मों से अपीलकर्ता फर्म को निविदा शर्तों के अनुरूप कार्यानुभव की शर्त पूर्ण नहीं करने के

Scanned with CamScanner

कारण अयोग्य घोषित किया गया एवं मैसर्स डेनियल फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर को तकनीकी बिड में योग्य माना गया तथा सेम्पल जांच के उपरान्त दिनांक 25.09.2021 को इसकी वित्तीय बिड खोली गई।

7. प्रकरण में प्रथम अपील अधिकारी को प्रस्तुत अपील के निर्णय का भी अवलोकन किया।

इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, मौखिक दलील व विश्वविद्यालय के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा ई–बोली से संबंधित समस्त कार्यालय अभिलेख व प्रथम अपील के निर्णय के अवलोकन, विचार करने के उपरान्त यह पाया कि:

1. अपील प्रस्तुतकर्ता फर्म द्वारा जो अपील की गई है, उसमें निविदा प्रपत्र से संबंधित प्रावधानों के विरूद्ध भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिन्हें अपीलार्थी को निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तुत करना चाहिए था, जो अपीलकर्ता ने तत्समय प्रस्तुत नहीं किये।
2. आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 23 एवं आरटीपीपी रूल्स, 2013 के नियम 47 के अनुसार उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परणिामस्वरूप बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय सीमा से पूर्व ही स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किये जा सकते हैं।
3. यह कि निविदादाता/अपीलार्थी द्वारा निविदा अन्तर्गत निविदा प्रस्तुत करना ही निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र की शर्तों को स्वीकार करना है, क्योंकि निविदा शर्तों एवं प्रावधानों को स्वीकार करने पर ही निविदा प्रस्तुत की है।
4. निविदा प्रपत्र में समाहित प्रावधान के संबंध में जो सुझाव थे, उनको फर्मों द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार व वांछित प्रावधानों को स्वीकार कर संशोधित निविदा सूचना जारी की गई है। जबकि अपीलकर्ता फर्म ने निविदा प्रपत्र की किसी शर्त एवं प्रावधान को न तो संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये तथा न ही कोई अवांछित प्रावधानों को हटाने के लिए निवेदन किया है।
5. यह कि उक्त से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी निविदा दाता द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन में निविदा शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण अर्थात् असफल होने पर तकनीकी बिड के संबंध में निविदा शर्तों पर आपत्ति की है, जो नियमानुकूल नहीं है।
6. विश्वविद्यालय की गठित उपापन समिति द्वारा उपापन की जाने वाली विषय वस्तु के लिए आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 7 के अनुसार उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्रता मापदण्ड निर्धारित करने हेतु सक्षम उपापन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों का निर्धारण कर ही निविदा प्रपत्र जारी किया गया है तथा इसके अनुसार वांछित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करने हेतु प्रावधान रखा गया है।
7. यह है कि गठित उपापन समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ ही जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी व तकनीकी अधिकारी को भी समाहित किया गया है तथा समिति द्वारा गहन परीक्षण करने के उपरान्त ही तकनीकी बिड का मूल्यांकन किया गया है।
8. अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.09.2021 को चुनौती दी है, जिसमें अपील अधिकारी द्वारा केन्द्रीय उपापन समिति द्वारा किये गये निर्णय जिसमें अपीलार्थी की निविदा को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि अपीलान्ट द्वारा तकनीकी बिड को (Dynasty Modular Furniture Pvt. Ltd. Jaipur, work experience not submitted as per tender documents, criteria term and clause No. 3.3.1.2 & 3.3.1.3 of chapter 5 eligibility criteria. Hence technical bid Dynasty Modular Furniture Pvt. Ltd., Jaipur is declared non responsive.) निविदा की शर्तों में वांछित कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है।
9. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील में विधिसम्मत निर्णय होने तक धारा 39 के प्रावधानों के तहत समस्त उपापन कार्यवाही करने पर रोक/स्टे लगाये जाने हेतु निवेदन किया है। चूंकि निविदान्तर्गत योग्य पाई गई फर्म की वित्तीय बिड 25.09.2021 को ही खोली जा चुकी है। अतः प्रकरण में स्टे/रोक लगाई जाने का कोइ औचित्य नहीं रह जाता है।

Scanned with CamScanner

निर्णयः उपस्थित अपीलार्थी एवं प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अपील तथा तर्क, दस्तावेज एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख एवं विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा एवं उपापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अनुशीलन, अवलोकन व विवेचन किया गया। मेरिट पर अपील को देखा गया। अपीलार्थी द्वारा निविदा के साथ में अपलोड कागजात व निविदा में उल्लेखित शर्तों के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि अपीलार्थी फर्म ने निविदा की शर्तों में वांछित कार्य अनुभव व अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। केन्द्रीय उपापन समिति द्वारा निविदा की शर्तों में वांछित कार्य अनुभव व अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अपीलार्थी की निविदा को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में प्रदत्त प्रावधान की अवहेलना नहीं किया जाना पाया जाता है।

अतः उपर्युक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

कुलपति एवं
द्वितीय अपील अधिकारी
दिनांकः 22/11/21

क्रमांक : 22151
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति सचिवालय।
2. प्रभारी सामान्य शाखा एवं उपापन अधिकारी।
3. मैसर्स डायनास्टी मोड्यूलर फर्नीचर्स, प्रा.लि. जयपुर
4. रक्षित पत्रावली।

कुलपति

Scanned with CamScanner